

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या-06/वन निगम-05/2021- 3344

व०प०, राँची, दिनांक- 01/12/2021

बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 (बिहार अधिनियम 5, 1974) की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान, पलामू एवं संथालपरगना प्रमण्डलों के लिए एक-एक केन्दू पत्ती सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

क्र०	प्रतिनिधि	प्रस्तावित प्रतिनिधि का नाम एवं पता
1. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची		
1.	आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची	विशेष आमंत्रित सदस्य
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, राँची	संयोजक-सह-सचिव
सदस्यगण		
1.	केन्दू पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि	श्री अनिल कुमार, फ्लैट नं०-403, लावन्या ब्लॉक चौक रोड, कांके, राँची, मो०नं०-9431397757
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि	श्री निशान्त कुलुकेरिया, स्टेट बैंक रोड, सिमडेगा, मो०नं०-7004222755
3.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	1. श्री निर्मल कुमार बेसरा, ठाकुरटोली, सिमडेगा, मो०नं०-8084417892 2. श्री पौलुस बोदरा, कोलम्दा, जाते, मूरहू, जिला-खूँटी, मो०नं०-6299929902
4.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि	श्री भीम स्वॉसी, जारंगा, तमाड़, मो०नं०-7549191412
5.	केन्दू पत्ती उगाने वाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	श्री राकेश कुमार, ग्राम-सेमरी, पो०-पाटन, जिला-पलामू, वर्तमान पता-देवी मंडप रोड, पिस्का मोड़, रातू, राँची, मो०नं०-7004918984
6.	केन्दू पत्ती उगाने वाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि	श्री कृष्ण कुमार माथुर, ग्रा०-गोतरा, भोगता टोली, सिमडेगा, जिला-सिमडेगा, मो०नं०-7766008779
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	श्री अशोक कुमार आनन्द, साकेत बिहार, हरमू, मो०नं०-9431361415
2. कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा		
1.	आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर	विशेष आमंत्रित सदस्य
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, राँची	संयोजक-सह-सचिव
सदस्यगण		
1.	केन्दू पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि	श्री दिनेश कुमार शाह, ग्राम+पो०-मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, मो०नं०-9771323380
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि	श्री रमेश भाई पटेल, ग्राम-बंगाली टोला, पो०-चक्रधरपुर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, मो०नं०-7250274265

3.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	1. श्री कृष्णा डांगिल, गाँव-बुरुहुन्दरु, पो0-गोयलकेरा, थाना-गोयलकेरा, जिला-पो सिंहभूम, झारखण्ड, पिन-833103, मो0नं0-7479484912 2. श्री सुलेमान मुण्डू, ग्राम-हतनादह, पो0-बन्दगाँव, जिला-पो सिंहभूम, मो0नं0-7667250443
4.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि	श्री जीत मोहन कुम्हार, ग्राम-पुनीदा, पो0-गोविन्दपुर, सोनुआ, चक्रधरपुर, मो0नं0-6201130948
5.	केन्दू पत्ती उगाने वाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	श्री चुना अली, ग्राम-नरसिंहगढ़, पो0-धालभूमगढ़, जि0-पूर्वी सिंहभूम, मो0नं0-8789975427
6.	केन्दू पत्ती उगाने वाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि	श्री एजाजुल हक, जवाहर नगर, क्रॉस रोड नं0-14, आजाद नगर, मानगो, जमशेदपुर, मो0नं0-8709159410
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	श्री टिकैत चन्द्र प्रधान, पिता-स्व0 अर्जुन प्रधान, ग्रा0-डेलगापाड़ा, पो0-नयागाँव, था0-मैझगाँव, जि0-पो सिंहभूम, झारखण्ड-833214, मो0नं0-9955475728
3. उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग		
1.	आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग	विशेष आमंत्रित सदस्य
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, हजारीबाग	संयोजक-सह-सचिव
सदस्यगण		
1.	केन्दू पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि	मो0 एहसान, पिता-मो0 हनीफ, लाईन मोहल्ला, रहमत चौक, चतरा, पिन-825401, मो0-6206863250, 9110105306
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि	मो0 अजहर ईमाम, ग्रा0-बादम, पो0-बादम, जिला-हजारीबाग, मो0-8294135678
3.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	1. श्री जानकी कोड़ा, पिता-तैजो कोड़ा, ग्रा0-अलारगो, पो0-भंडारीदह, था0-चन्द्रपुरा, जि0-बोकारो, पिन-829132, मो0नं0-9431324238 2. दीना नाथ बेशरा, पिता-लुथरु मांझी, ग्रा-गोदली टांड (लहरीयाडीह) पो0-कोनार डैम, जि0-हजारीबाग, पिन-825305, मो0-8002642503
4.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि	श्री रामचन्द्र गंडू, पिता-नरेश गंडू, ग्राम-तिलैया, पो0-बरैनी, जिला-चतरा, पिन-825401, मो0नं0-8825282191
5.	केन्दू पत्ती उगाने वाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	श्री विकास कुमार यादव, श्री प्रसाद यादव, ग्राम-कठम्बा, पो0-चौपारण, जिला-हजारीबाग, मो0नं0-9934510079
6.	केन्दू पत्ती उगाने वाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि	मो0 समीम, पिता-स्व0 हाफिज नेजामुद्दीन, लाईन मोहल्ला, रहमत चौक, चतरा, पिन-825401, मो0नं0-9470115720
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	मो0 ईलाही, पिता-स्व0 करामात मियाँ, बिन्द मुहल्ला, चतरा, पिन-825401, मो0-9631038222, 9470363208
4. पलामू प्रमण्डल, डालटनगंज		
1.	आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, डालटनगंज	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू	विशेष आमंत्रित सदस्य
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, हजारीबाग	संयोजक-सह-सचिव
सदस्यगण		
1.	केन्दू पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि	श्री कृष्णा प्रसाद यादव, ग्राम+पो0-रारो, थाना-डंडई, जिला-गढ़वा (झारखण्ड), मो0 नं0-9693228090
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि	श्री बिनोद यादव, प्रतापनगर, रेडमा, डालटनगंज, जिला-पलामू, मो0नं0-8789305314

3.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	1. श्री शंख नाथ उराँव, ग्राम-पिड़ीया, पो0-झाबर, थाना-सतबरवा, जिला-पलामू, मो0नं - 7461877397 2. श्री राम लाल उराँव, ग्राम-वरवैया, पो0-वरवैया, थाना-मनिका, जिला-लातेहार, मो0नं0-8521398640.
4.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि	श्री विकास कुमार रजक, पिता-श्री श्यामसुन्दर बैठा, ग्राम+पो0-पाँचादुमर, थाना-केतार, भवनाथपुर, जिला-गढ़वा, मो0नं0-9798382438, 6203858080
5.	केन्दू पत्ती उगाने वाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	श्री भुखु राम, ग्राम-रकसा, पो0+थाना-नगर उँटारी, जिला-गढ़वा, मो0नं0-9507067103
6.	केन्दू पत्ती उगाने वाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि	श्री रमा शंकर मिश्र, ग्राम+पो0-डोल, थाना-चिनियाँ, जिला-गढ़वा, मो0नं0-9065952544
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	श्री आनन्द बैठा, ग्राम-वरवैया, पो0-वरवैया, थाना-मनिका, जिला-लातेहार, मो0नं0-7765005421
5. संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका		
1.	आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका	विशेष आमंत्रित सदस्य
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, देवघर।	संयोजक-सह-सचिव
सदस्यगण		
1.	केन्दू पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि	श्री उज्जवल कुमार साह, वल्द स्व0 नरसिंह प्रसाद साह, मो0+पो0-बड़ा धमनी, जिला-गोड्डा, मो0नं0-8709513699
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि	श्री राम बाबु त्रिपाठी, जी0एम0, एस0बी0डब्ल्यू0 लिमिटेड, मो0+पो0-जसीडीह, जिला-देवघर, मो0नं0-9771528182
3.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	1. श्री बाबूराम दुडू, वल्द-श्री लाल दुडू, ग्राम-सबईजोरा, पो0+थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा, मो0नं0-9631159634 2. श्री फ्रांसिस हांसदा, वल्द श्री लखन हांसदा, ग्राम-बस्ता, पो0-बनियाडीह, थाना-ठाकुरगंगरी, जिला-गोड्डा, मो0नं0-8340441961
4.	केन्दू पत्ती उगाने वाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि	श्री शंकर रविदास, वल्द-स्व0 बुधन रविदास, ग्राम-तोराई, थाना- हिरणपुर, जिला-पाकुड़, मो0नं0-9572872482
5.	केन्दू पत्ती उगाने वाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	श्री प्रदीप कुमार दत्ता, वल्द-श्री स्व0 भवतारण दत्ता, ग्राम-घाटबंका, पो0-सरौनी बाजार, थाना-गोड्डा मुहफसील, जि0-गोड्डा, मो0नं0-7739176039
6.	केन्दू पत्ती उगाने वाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि	श्री अनिरुद्ध प्रसाद साह, वल्द-स्व0 धनेश्वर प्रसाद साह, ग्राम+पो0-गोलबंदा, जि0-दुमका, मो0नं0-7033703856
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	श्री समीर कुमार रक्षित, वल्द-स्व0 भोलानाथ रक्षित, ग्राम-घाटबंका, पो0-सरौनी बाजार, थाना-गोड्डा मुहफसील, जि0-गोड्डा, मो0-9006767619

1. केन्दू पत्ती सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 30 जून 2022 तक होगा।

2. समिति दिनांक 01 जुलाई 2021 से प्रारंभ और 30 जून 2022 को समाप्त होने वाले केन्दू पत्ती मौसम वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार को प्रति मानक बोरा केन्दू पत्ती का संग्रहण मूल्य निर्धारण करने हेतु अपना परामर्श देगी।

(i) समिति मौसम वर्ष के लिए जिस कीमत पर राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत पदाधिकारी या एजेन्ट, उगाने वालों से या ग्रामीणों से केन्दू पत्ती खरीद सकें, उस कीमत के संबंध में अपना परामर्श देगी।

(ii) यह समिति राज्य सरकार की भूमि पर उगने वाली केन्दू पत्ती या उससे भिन्न उगने वाली पत्ती के लिए अलग-अलग दरों के निर्धारण के लिए परामर्श देगी।

7

- (iii) समिति केन्दू पत्ती की अधिसूचित मात्रा बढ़ाने के संबंध में परामर्श देगी।
- (iv) समिति राज्य में केन्दू पत्ती की भण्डारण क्षमता वृद्धि के संदर्भ में परामर्श देगी।
- (v) समिति विगत वर्षों के अबिक्रीत केन्दू पत्ती लॉट की बिक्री नहीं होने के कारणों पर चर्चा करते हुए वर्तमान मौसम वर्ष में लॉटों की बिक्री किस प्रकार हो एवं अबिक्रीत लॉट में संग्रहण किस प्रकार किये जायें, पर परामर्श देगी।
3. समिति संग्रहणकर्ताओं को संग्रहण मूल्य के भुगतान में सुधार संबंधी परामर्श देगी।
4. समिति विकास मद के उपयोग की स्थिति पर परामर्श देगी।
5. समिति के गैर सरकारी सदस्यों की यात्रा-भत्ता इत्यादि निम्न प्रकार से देय होगा :-
- "समिति के गैर सरकारी सदस्य यात्रा-भत्ता के संबंध में प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के समकक्ष माने जायेंगे और उनको नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होगा।"
6. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता का भुगतान समिति के संयोजक-सह-सचिव-सह-महाप्रबन्धक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची/हजारीबाग/ देवघर द्वारा किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(एल0 खियांते)

अपर मुख्य सचिव

झापांक-06/वन निगम-05/2021- 3344 व0प0, राँची, दिनांक- 01/12/2021

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

झापांक-06/वन निगम-05/2021- 3344 व0प0, राँची, दिनांक- 01/12/2021

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

झापांक-06/वन निगम-05/2021- 3344 व0प0, राँची, दिनांक- 01/12/2021

प्रतिलिपि-माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

झापांक-06/वन निगम-05/2021- 3344 व0प0, राँची, दिनांक- 01/12/2021

प्रतिलिपि-सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समितियों के संयोजक-सह-सचिव से अनुरोध है कि इस संबंध में अविशेष बैठक, आहूत कराकर अनुशंसा सरकार को ससमय उपलब्ध करावें।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-06/वन निगम-05/2021- 3344 व0प0, राँची, दिनांक- 01/12/2021
प्रतिलिपि-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0,
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष अनुरोध है कि इस अधिसूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सलाहकार समिति के सभी सदस्यों
एवं अन्य सभी संबंधित को परिचालित करने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक-06/वन निगम-05/2021- 3344 व0प0, राँची, दिनांक- 01/12/2021
प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website:-
forest.jharkhand.gov.in पर Upload करने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-06/वन निगम-05/2021- 3344 व0प0, राँची, दिनांक- 01/12/2021
प्रतिलिपि-विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।